



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 31 जनवरी, 2015/11 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2015

संख्या: आयु0-ए-(3)-2/2013.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्राध्यापक (संस्कृत), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलग्न उपाबन्ध- 'क' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, प्राध्यापक (संस्कृत), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आर्यु-सी-क (3)-3/97 तारीख 04-11-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग प्राध्यापक (संस्कृत), वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(संजय गुप्ता)
प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।

उपाबन्ध— “क”

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्राध्यापक(संस्कृत), वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए
भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम:**—प्राध्यापक(संस्कृत)
2. **पद(पदों) की संख्या:**— 01 (एक)
3. **वर्गीकरण:**— वर्ग—I (राजपत्रित)
4. **वेतनमान:**—(i) नियमित पदधारी(पदधारियों) के लिए वेतनमान: पे बैंड ₹10,300-34,800/जमा ₹ 5,000/-ग्रेड पे।

दो साल के नियमित कार्यकाल के बाद ₹15,600-39,100/ जमा ₹5,400 ग्रेड पे दिया जाएगा।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी(कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:—

स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रूप ₹15,300/-प्रति मास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद:**—लागू नहीं।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु:**—45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होंगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ):—(i) किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इसके समतुल्य उपाधि।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दर्शन निस्जात (एम0फिल) (संस्कृत) या विद्या वाचस्पति(पी0एच0डी0) या समतुल्य उपाधि।

(ख) वॉछनीय अर्हता:—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एँ) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं :—आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता :— लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैन्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा :—लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना :— लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(I) सकल्पना:—(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में प्राध्यापक(संस्कृत) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा के आधार पर नियुक्त प्राध्यापक(संस्कृत) को 15,300/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/—रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:—प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समित:—जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमों से सलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/— रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/—रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम

जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश का हकदार भी होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष संचित किया जा सकेगा और अगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम, आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण:—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा:—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध—ख

प्राध्यापक(संस्कृत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र पुत्री श्री निवासी.....
....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त “प्रथम पक्षकार” को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्राध्यापक(संस्कृत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

01. यह कि प्रथम पक्षकार प्राध्यापक(संस्कृत) के रूप में.....से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को सवयं मेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/वस्तारित की जाएगी।

02. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15,300/— रुपए प्रतिमास होगी।
03. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
04. संविदात्मक प्राध्यापक(संस्कृत) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदात्मक प्राध्यापक(संस्कृत) को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

05. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर

कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

06. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
07. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
08. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
09. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1. प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
नाम
पता

साक्षी की उपस्थिति में

2. द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
नाम.....
पता

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-2/2013 dated 06-01-2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th January, 2015

No. Ayur-A(3)-2/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service

Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Lecturer (Sanskrit), Class-I** (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-‘A’ attached to this notification, namely :—

1. Short title & Commencement:—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Lecturer(Sanskrit), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings:—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, Lecturer(Sanskrit) Class-II (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No.Ayr-C-Ka(3)-3/97 Dated 04-11-1997 are hereby repealed.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
(SANJAY GUPTA),
Principal Secretary (Ayurveda).

ANNEXURE-A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Lecturer(Sanskrit) Class-I(Gazetted), in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh

- 1. Name of Post.**—Lecturer(Sanskrit)
- 2. Number of Post(s).**—01(One)
- 3. Classification.**—Class-I (Gazetted)
- 4. Scale of Pay.—(I) Pay scale for regular incumbent(s):**—Pay Band ₹10300-34800+ ₹5000/-Grade Pay

After rendering two years regular service the Pay Band ₹15,600-39,100+ ₹5400/- Grade Pay will be given.

(II) Emoluments for contract employee(s):— ₹15,300/- as per details given in Column 15-A.

- 5. Whether “Selection” or “Non-Selection” post.**—Not applicable
- 6. Age for direct recruitment.**—45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper-age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government; Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) Essential Qualification(s):—(i) Master Degree in Sanskrit subject with atleast 55% marks from a recognized Indian University or any equivalent degree from a Foreign University duly recognized by the Government of India with atleast 55% marks.

(ii) M.Phil.(Sanskrit) or Ph.D. Degree or equivalent degree from any recognized University.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Himachal Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition?—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to post by direct recruitment on contract basis.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) Concept:—(a) Under this policy, Lecturer(Sanskrit) in the Department of Ayurveda Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) Post falls within the purview of H.P.P.S.C:—The Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) Contractual Emoluments :—The Lecturer (Sanskrit) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay). An amount of ` 459/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing/Disciplinary Authority:—The Principal Secretary/ Secretary (Ayurveda) to the Govt. of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process :—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e H.P.Public Service Commission.

(V) Committee for selection of Contractual Appointments:—“As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time”. VI) Agreement :—

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) Terms and Conditions :—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459/-(3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 and as amended from time to time.

18. Power to relax:—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE LECTURER(SANSKRIT) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (AYURVEDA) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh/Smt. _____ son/daughter of Shri _____ R/o _____

_____ contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Lecturer(Sanskrit) on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a for a Lecturer(Sanskrit) period of one year commencing on the _____ day of _____ and ending on _____ day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15,300/- per month
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Lecturer(Sanskrit) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Lecturer(Sanskrit).

Provided that the un-availed Casual Leave/Medical Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provide that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Govt./Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re examined for fitness from Government authorized/Registered Medical Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

Name _____

Address _____

(Signature of the FIRST PARTY).

2. _____

Name _____

Address _____

(Signature of the SECOND PARTY)

**In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Suresh Kumar s/o Shri Madho Ram aged 33 years, r/o Village & P.O. Phatahar, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) At present working in the Court of Chief judicial Magistrate, Hamirpur and residing at the house of Dharam Singh, Partap Nagar, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

2. Guddi Devi d/o Shri Rirku Ram aged 26 years, r/o Village & P.O. Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.). . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Suresh Kumar and Guddi Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-9-2014 at Santoshi Mata Mandir Hamirpur, Tehsil and District Hamirpur(H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-2-2015. The objection received after 25-2-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

CHAND PRAKASH SHARMA,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 श्री रूमी, निवासी गांव अनूही, मौजा अनूही, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पति का नाम राजस्व विभाग के महाल अनूही में रूमी दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम रमेश कुमार पुत्र राम सिंह दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में रूमी के बजाए श्री रूमी उर्फ रमेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक.....को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 22-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H. P.)**

In the matter of :

1. Shri Sunil Kumar aged 32 years, s/o Shri Lekh Raj, r/o Village & P.O. Jambala, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.)
 2. Meena aged 26 years d/o Shri Mangal Chand, r/o Village & P.O. Mooling, Tehsil Keylong District Lahaul-Spiti at present resident of Village Tharmanseri, P.O. Neoli, Tehsil and District Kullu (H.P.)
- . . .Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sunil Kumar and Meena have filed an application on dated 20-1-2015 along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-1-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-2-2015. The objection received after 20-2-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-1-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAGHAV SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).

तारीख पेशी : 21-2-2015

1. श्री हेम राज पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी गांव लशवाल, डाकघर तान्दी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री टेक सिंह, निवासी गांव सलाणू, डाकघर जिभि, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 7-12-2012 को श्रीमती शकुन्तला देवी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी का नाम ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-2-2015 से पहले असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हीरा लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 20-2-2015

गगन ठाकुर पुत्र स्व0 श्री यादव कुमार, निवासी नौहली, डा0 नौहली, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थी।

आवेदन पत्र-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारे।

गगन ठाकुर पुत्र स्व0 श्री यादव कुमार, निवासी नौहली, डा0 नौहली, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नौहली के परिवार रजिस्टर व अन्य स्कूल प्रमाण-पत्र में गगन ठाकुर दर्ज है। जबकि मुहाल खिल के तमाम कागजात में उसका

नाम गंगा राम दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम भी ग्राम पंचायत नौहली में यादव कुमार दर्ज है जबकि मुहाल खिल में यादम कुमार दर्ज है। आवेदक ने प्रार्थना की है कि मेरा नाम गगन ठाकुर उर्फ गंगा राम व मेरे पिता का नाम यादव कुमार उर्फ यादम कुमार दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जाये।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन तारीख पेशी 20-2-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। ब सूरत गैर हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा लाल ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री श्रवण माण्टा (हि0प्र0से0), उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, निवासी जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत जामनीवाला, पांवटा साहिब
2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(1) के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, निवासी ग्राम जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने मय शपथ-पत्र एक प्रार्थना-पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसकी माता श्रीमती मानसी उर्फ मन्सो पत्नी श्री छज्जू राम, नि0 ग्राम जामनीवाला, तहसील पांवटा की मृत्यु दिनांक 30-12-1990 को उनके पैतृक गांव जामनीवाला में हो गई है। अज्ञानतावश ग्राम पंचायत जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में अपनी माता जी की मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवा सका है। जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री छज्जू राम, निवासी जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब की माता श्रीमती मानसी उर्फ मन्सो पत्नी श्री छज्जू राम की मृत्यु बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2015 तक असागतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी की माता जी की मृत्यु का पंजीकरण करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

श्रवण माण्टा,
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)

मु0 नं0 : 02/2015

तारीख रजुआ : 6-1-2015

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी ग्राम बिलांवाली लबाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

ग्राम पंचायत/नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)

प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी ग्राम बिलांवाली लबाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) वादी ने इस अदालत में अपनी बच्ची के जन्म का ईन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	नाम व पता	रिश्ता	जन्म तिथि
1.	मंजू देवी	पुत्री	3-2-2001

उक्त की जन्म तिथि पंजीकरण का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् बद्दी, तहसील बद्दी के रिकॉर्ड में ईन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दिया है। यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि को पंजीकृत होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 6-2-2015 या उससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 6-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

केशव राम कोली,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)

मु0 नं0 : 01/2015

तारीख रजुआ : 6-1-2015

श्री राज कुमार पुत्र श्री राम सरूप, निवासी ग्राम कुन्जाहल, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)

वादी।

बनाम

ग्राम पंचायत/नगर परिषद् भटोली कलां, जिला सोलन (हि0 प्र0)

प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि श्री राज कुमार पुत्र श्री राम सरूप, निवासी ग्राम कुन्जाहल, तहसील बददी, जिला सोलन (हि0 प्र0) वादी ने इस अदालत में अपनी बच्ची के नाम का जन्म ईन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	नाम व पता	रिश्ता	जन्म तिथि
1.	अंजली कुमारी	पुत्री	31-8-2010

उक्त की जन्म तिथि पंजीकरण का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् भटोली कलां, तहसील बददी के रिकॉर्ड में ईन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दिया है। यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि को पंजीकृत होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 8-2-2015 या उससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 6-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

केशव राम कोली,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
बददी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना
(हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री धर्म पाल पुत्र श्री नानक चन्द, वासी चन्द्रलोक कालोनी, वार्ड नम्बर 4, ऊना, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री यमुना देवी का जन्म दिनांक 14-11-2009 को चन्द्रलोक कालोनी, वार्ड नम्बर 4, ऊना में हुआ था, परन्तु इस बारे नगर परिषद् ऊना के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2015 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असातन या वकालत हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-1-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Mahendra Singh Kholta s/o Shri Atma Ram Kholta, V.P.O. Baghi, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) have changed my name Mohinder Kholta.

MOHINDER KHOLTA,
s/o Shri Atma Ram Kholta, V.P.O. Baghi,
Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tsedup Gurung s/o Nyima Gurung, r/o Bon Children's home Village Dholanji, P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, declare that in my 10th Examination Certificate Session 2011 bearing roll No. 2225222 CBSE Board and my 12th Examination Certificate Session 2013 bearing roll No.2722627 CBSE Board my name entered as Tsedup but my correct name is Tsedup Gurung. Concerns please note.

TSEDUP GURUNG,
s/o Nyima Gurung, r/o Bon Children's home Village Dholanji,
P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tachung Gurung w/o Nyima Gurung, r/o Bon Children's home village Dholanji, P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, declare that in my son Tsedup Gurung's 10th Examination Certificate Session 2011 bearing roll No. 2225222 CBSE Board and his 12th Examination Certificate Session 2013 bearing roll No.2722627 CBSE Board my name entered as Tachung but my correct name is Tachung Gurung. Concerns please note.

TACHUNG GURUNG,
w/o Nyima Gurung, r/o Bon Children's home village Dholanji,
P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nyima Gurung s/o Passang Dhondup, r/o Bon Children's home village Dholanji, P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, declare that in my son Tsedup Gurung's 10th Examination Certificate Session 2011 bearing roll No. 2225222 CBSE Board and his 12th Examination Certificate Session 2013 bearing roll No.2722627 CBSE Board my name entered as Nyima but my correct name is Nyima Gurung. Concerns please note.

NYIMA GURUNG,
s/o Passang Dhondup Gurung, r/o Bon Children's home village Dholanji,
P.O. Kotlapanjola, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, (H.P.).